न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आरएएस

प्रकरण सं0 : 153/2017

अनवान :

1. सतवीर पूनियां | पुत्रान रामसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा
2. भूपेन्द्रसिंह | तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान

– प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां : वादीगण

निर्णय दिनांक : 4.10.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि करणपुरा बारानी के खाता सं0 157/154 के खसरा सं0 628/304 की 2.340 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें प्रतिवादी एवं बालचंद बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा करणपुरा बारानी के ही खाता सं0 263/265 के खसरा सं0 631/304 की 5.185 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज है तथा चक 8 एमएसआर के खाता सं0 59/63 है0 की 6.325 है0 एवं खाता सं0 70/62 की 5.06 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि है, जो प्रतिवादी व बालचंद के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जो परिवार का कर्ता होने के कारण प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। वादभूमि दादालाई पैतृक सम्पत्ति है, वाद भूमि प्रतिवादी को अपने पिता चेतराम व दादा नोपाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी तीनों का बराबर बराबर हिस्सा था। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी तीनों के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी। इस प्रकार वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण इसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादी ने चक 8 एमएसआर एवं करणपुरा बारानी के सारों खातों की भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपस में बैठकर के परिवार की शान्ति, भलाई एवं आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जिसमें चक 8 एमएसआर की भूमि जो प्रतिवादी के नाम दर्ज है,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वो उन्हीं के नाम रहेगी तथा करणपुरा बारानी की वाद भूमि प्रतिवादी की बजाय दोनों वादीगण को बंटवारा में रहेगी। इस भूमि की बाबत प्रतिवादी ने अपना जो भी हक व हिस्सा था, वह चक 8 एमएसआर की भूमि की बदले में वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए वादभूमि करनपुरा बारानी के प्रतिवादी की बजाय दोनों वादीगण खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी ने इकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहित है।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा करनपुरा बारानी, 8 एमएसआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम से दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने जो चित्रप्रति पर्चा लगान की पेश की है उसमें वाद भूमि वादी के परदादा नोपाराम वल्द रामसा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की पैत्रक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में रामसिंह के दो पुत्र सतवीर व भूपेन्द्र होना व इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि करनपुरा बारानी के खाता सं0 157/154 के खसरा सं0 628/304 की 2.340 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी रामसिंह का 1/2 हिस्सा व खाता सं0 263/265 के खसरा सं0 631/304 की 5.185 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी रामसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:00 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (भादरा)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आरएएस

प्रकरण सं0 : 153/2017

अनवान :

1. सतवीर पूनियां
2. भूपेन्द्रसिंह

पुत्रान रामसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमनगढ़। राजस्थान

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि करनपुरा बारानी के खाता सं0 157/154 के खसरा सं0 628/304 की 2.340 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी रामसिंह का 1/2 हिस्सा व खाता सं0 263/265 के खसरा सं0 631/304 की 5.185 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रतिवादी रामसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.10.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:45:00 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़